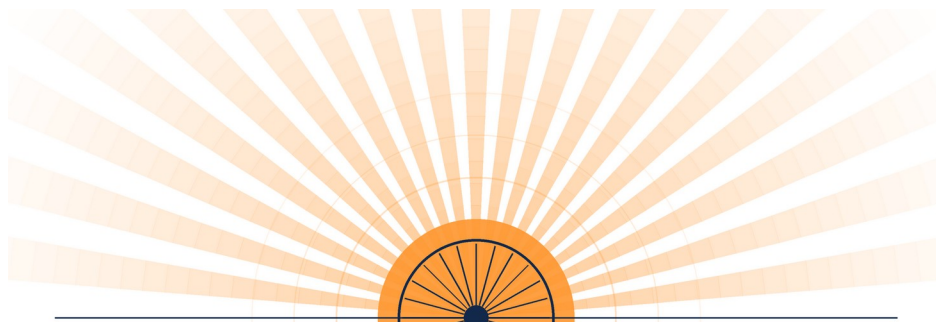




UPSC DARPAN

साप्ताहिक विशेषांक — अंक 1

16-19 सितंबर 2026 · सप्ताह की 25 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियाँ

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

हम जीत का मज़ा चखकर रहेंगे ।

मुफ्त, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वह जो भी चुका सके या न चुका सके ।

संपादक की ओर से

यह पत्रिका इस रूप में क्यों है

यह हमारा पहला साप्ताहिक विशेषांक है। हर दिन की पत्रिका उस दिन के समाचार को पकड़ती है; यह अंक पूरे सप्ताह से पीछे हटकर पूछता है — इनमें से कौन-सी 25 कहानियाँ परीक्षा की दृष्टि से वास्तव में मायने रखती हैं। चयन का आधार आरवी सर द्वारा साझा किया गया वही मानदंड है: अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ जिनका भारत पर असर हो, राष्ट्रीय घटनाएँ जिनके अंतरराष्ट्रीय परिणाम हों, वे विकासात्मक मुद्दे जो आम नागरिक को छूते हों, और इतिहास-संस्कृति के धागे जो वर्तमान से जुड़ते हों।

हर कार्ड पाँच मिनट में पढ़ा जा सकता है, पर उतना ही सटीक है जितना दैनिक अंक का कार्ड — कुछ भी नया नहीं गढ़ा गया, केवल सप्ताह भर के सत्यापित पाठ में से सबसे महत्वपूर्ण भाग को चुना और सँवारा गया है।

— संपादक

हम मसूरी वाले कर्मयोगी बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता, गुमनामी और सादगी के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त।

अनुक्रमणिका

इस सप्ताह की सभी 25 कहानियाँ, क्रमवार।

प्रारंभिक भाग

- संपादक की ओर से

राजव्यवस्था एवं शासन

- 1.1 मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) — झारखंड के आँकड़े
- 1.2 समान नागरिक संहिता — मार्ग को लेकर संघर्ष (संसद बनाम 'पिछले दरवाजे से')
- 1.3 किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध समझौता — 8 वर्ष के गतिरोध पर सहकारी संघवाद की जीत
- 1.4 खनन संशोधन अधिनियम 2026 — नया केंद्र-राज्य टकराव बिंदु
- 1.5 एक ही दिन दो सर्वोच्च न्यायालय आदेश — भाषा, शिक्षा और संघवाद पर
- 1.6 संयुक्त समिति के समक्ष FCRA संशोधन विधेयक, जबकि न्यायालय मौजूदा कानून के प्रयोग पर सवाल उठा रहे
- 1.7 निवारक निरोध की समीक्षा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम व NSA के दुरुपयोग पर 'ऑरवेलियन डिस्टोपिया' की चेतावनी दी
- 1.8 तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के अंतर्गत एक विधायक को अयोग्य ठहराया, जब अध्यक्ष ने ऐसा करने से इनकार किया

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- 2.1 लाल सागर, होर्मुज जलसंधि और विस्तृत होता यमन युद्ध — भारत की ऊर्जा सुरक्षा दाँव पर
- 2.2 ब्रिक्स के बाद भारत-चीन संबंध — 'परस्पर सम्मान, परस्पर हित, परस्पर संवेदनशीलता'
- 2.3 अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत की भारतीय नौसेना जहाज़ से टक्कर
- 2.4 अमेरिका ने रूस के ऊर्जा खरीदारों को निशाना बनाने वाला विधेयक पारित किया; भारत ने कहा संबंध 'प्रभावित हो सकते हैं'

अर्थव्यवस्था

- 3.1 अगस्त में वस्तु निर्यात 26% बढ़ा — भारत का व्यापार घाटा घटा
- 3.2 UPI व्यापारी शुल्क (MDR) की वापसी — डिजिटल-भुगतान अर्थशास्त्र का पुनर्संतुलन
- 3.3 अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने तीन वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाईं
- 3.4 भारत का पहला जिला-स्तरीय बेरोज़गारी मानचित्र — युवाओं की शिक्षा-रोज़गार से दूरी पर क्या दिखाता है
- 3.5 चीन की दुर्लभ-मृदा पकड़ और भारत का ₹73 अरब का जवाब

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- 4.1 AI और 'संज्ञानात्मक समर्पण' — चैटबॉट छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को कैसे बदल रहे हैं
- 4.2 सेमीकॉन इंडिया 2026: ISM 2.0 ने \$11-12 अरब का निवेश आकर्षित किया, बारह में से पाँच परियोजनाएँ परिचालन में

समाज

- 5.1 मणिपुर — नई हत्याएँ दर्शाती हैं कि संघर्ष साधारण मैतेई-कुकी ढाँचे से आगे बढ़ चुका है
- 5.2 EAC-PM पत्र में जनसंख्या नियंत्रण को राज्य नीति के उद्देश्य के रूप में त्यागने की सिफारिश

आंतरिक सुरक्षा

- 6.1 नोएडा श्रमिक विरोध को लेकर पत्रकार पर NSA लागू
- 6.2 झीरम घाटी हमला — सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड, 13 वर्ष बाद

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- 7.1 पिघलते हिमालयी ग्लेशियर भारत के 21.5% GDP को जोखिम में डालते हैं; ब्रिक भट्टों से काला कार्बन एक-तिहाई समस्या
- 7.2 तीन ISA अनुबंध, 366 करोड़ टन नोड्यूलस, और उनके खनन के विरुद्ध तर्क

राज्यवस्था एवं शासन

1.1 मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) — झारखंड के आँकड़े

समाचार द हिंदू के अनुसार झारखंड में SIR की दावा-आपत्ति समय-सीमा दूसरी बार बढ़ाई गई — 4 सितंबर से 15 और अब 30 सितंबर तक। 5 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में 63,24,116 मतदाता थे, जिनमें से 43,61,987 प्रविष्टियाँ हटाने हेतु चिह्नित — अनुपस्थित (15,92,194), स्थानांतरित (14,50,810) और डुप्लिकेट (68,283)। पात्र नागरिकों के पास अब 30 सितंबर तक समावेशन हेतु आवेदन का समय है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. अनुच्छेद 324-329 (ECI की शक्तियाँ); अनुच्छेद 326 (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार); जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (धारा 21) व 1951; प्रारूप बनाम अंतिम मतदाता सूची; परिसीमन संबंध (84वाँ संशोधन प्रथम जनगणना तक सीट-हिस्सा स्थिर रखता है)।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. ECI की शक्तियाँ व निर्वाचन सूची की शुद्धता लगभग हर वर्ष प्रीलिम्स में तथा शासन/चुनाव-सुधार विषय के रूप में मेन्स में पूछी जाती है। SIR जैसा विवादास्पद प्रशासनिक अभ्यास — जहाँ एक ही राज्य में लगभग 69% प्रारूप मतदाता हटाने हेतु चिह्नित — सार्वभौमिक मताधिकार की संवैधानिक गारंटी बनाम सूची-शुद्धता के संतुलन पर 'समालोचनात्मक परीक्षण' प्रश्न हेतु आदर्श सामग्री है।
प्रीलिम्स तथ्य	SIR अनुच्छेद 326 व RPA 1950 के अंतर्गत संचालित; हटाने के कारण चार श्रेणियों में — अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट; झारखंड की प्रारूप सूची (5 अगस्त) में 63,24,116 मतदाता, जिनमें 43,61,987 चिह्नित।
विश्लेषण	1. इसे 'टाइप-I बनाम टाइप-II त्रुटि' समस्या के रूप में देखें, जिसे कोई भी निर्वाचन-सूची डिज़ाइन एक साथ समाप्त नहीं कर सकता। टाइप-I त्रुटि — वास्तविक मतदाता को हटाना — अनुच्छेद 326 के सार्वभौमिक मताधिकार के वादे का उल्लंघन है। टाइप-II त्रुटि — फर्जी/डुप्लिकेट प्रविष्टि बनाए रखना — एक-मत-एक-मूल्य की अखंडता को कमजोर करती है। झारखंड की 69% चिह्नित दर यह संकेत देती है कि प्रवासी श्रमिक और शहरी गरीब असंगत रूप से प्रभावित हैं — असली संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या हटाने का भार राज्य पर हो या पुनः-समावेशन का भार नागरिक पर।
संभावित मेन्स प्रश्न	"मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, शुद्धता सुधारने के उद्देश्य से होते हुए भी, अस्पष्ट विलोपन मानदंडों के माध्यम से वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का जोखिम उठाता है।" समालोचनात्मक परीक्षण करें और संस्थागत सुरक्षा उपाय सुझाएँ।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय: SIR को नियमित पुनरीक्षण से अलग परिभाषित करें और विरोधाभास बताएं। मुख्य भाग — चार चरणों में तर्क दें: (1) SIR का वैध औचित्य; (2) मताधिकार-वंचना का जोखिम, झारखंड के लगभग 69% आँकड़े के साथ; (3) मौजूदा सुरक्षा उपाय (दावा-आपत्ति विंडो, अपीलीय समीक्षा) व्यवहार में पर्याप्त हैं या नहीं; (4) तुलनात्मक टिप्पणी। निष्कर्ष: 'हटाना अपवाद, बने रहना नियम' का सिद्धांत अपनाते की सिफारिश करें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. झारखंड जैसे निर्वाचन क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जहाँ लगभग सत्तर प्रतिशत प्रारूप प्रविष्टियाँ हटाने हेतु चिह्नित हैं, आप किसी भी विलोपन को अंतिम रूप देने से पहले कौन-से भू-सत्यापन जाँच पर ज़ोर देंगे? दृष्टिकोण: एकल-भ्रमण सत्यापन के बजाय दिन/सप्ताह के अलग-अलग समय पर अनिवार्य द्वि-भ्रमण प्रोटोकॉल अपनाएँ ताकि पाली व मौसमी श्रमिक छूट न जाएँ। किसी भी 'स्थानांतरित/अनुपस्थित' टैग को अंतिम रूप देने से पहले कम से कम दो स्वतंत्र स्रोतों (आधार-लिंकड पता, राशन कार्ड, बिजली बिल, नियोक्ता प्रमाणपत्र) से पुष्टि अनिवार्य करें। स्थानीय वार्ड प्रतिनिधियों व नागरिक-समाज स्वयंसेवकों के साथ मोहल्ला-स्तरीय सत्यापन शिविर चलाएँ और हर भ्रमण का समय-अंकित, फोटोग्राफिक/GPS रिकॉर्ड रखें ताकि निर्णय अंकेक्षण-योग्य हों। Q2. 'स्वच्छ' सूची और यह संवैधानिक वादा कि कोई भी वास्तविक नागरिक प्रशासनिक शॉर्टकट से मताधिकार न खोए — इन दो प्रतिस्पर्धी लोकहितों में संतुलन कैसे बनाएँगे? दृष्टिकोण: मताधिकार को संवैधानिक डिफ़ॉल्ट और विलोपन को अपवाद मानें — मान्यता तब तक बनाए रखने के पक्ष में हो जब तक अपात्रता का पुष्ट प्रमाण न हो, न कि केवल पुष्टि के अभाव में। इससे प्रशासन पर यह सिद्ध करने का दायित्व आता है कि नाम हटाया जाना चाहिए, नागरिक पर यह सिद्ध करने का नहीं कि वह सूची में बना रहे।

1.2 समान नागरिक संहिता — मार्ग को लेकर संघर्ष (संसद बनाम 'पिछले दरवाजे से')

समाचार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा से कहा कि UCC को संसद के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए, राज्य-दर-राज्य टुकड़ों में नहीं — केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे पर करारा जवाब कि UCC सभी NDA-शासित राज्यों में लागू होगा। अब्दुल्ला का तर्क है कि इस परिमाण का व्यक्तिगत-कानून सुधार 'राज्य द्वारा तय किया जाने वाला विषय नहीं' है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. अनुच्छेद 44 (राज्य नीति निदेशक तत्व — समान नागरिक संहिता); संघ सूची व समवर्ती सूची में विधायी क्षमता; अनुच्छेद 25-26 (धार्मिक स्वतंत्रता) से टकराव; गोवा नागरिक संहिता एकमात्र मौजूदा उदाहरण।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. UCC संघवाद, व्यक्तिगत कानून सुधार और DPSP बनाम मौलिक अधिकार के टकराव पर आवर्ती मेन्स विषय है। 'संसद बनाम राज्य मार्ग' का नया कोण संघीय शक्ति-विभाजन की समझ परखता है — विशुद्ध व्यक्तिगत-कानून बहस से आगे बढ़कर।
प्रीलिम्स तथ्य	UCC अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक अनुचित्य निदेशक तत्व है; गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता पहले से लागू है; व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं।
विश्लेषण	1. असली संवैधानिक प्रश्न यह नहीं कि UCC वांछनीय है या नहीं, बल्कि यह कि इसे किस मार्ग से लागू किया जाए। समवर्ती सूची की प्रविष्टि होने के कारण राज्य विधानसभाएँ तकनीकी रूप से व्यक्तिगत-कानून कानून बना सकती हैं, परंतु राष्ट्रीय दायरे के किसी सुधार को राज्य-दर-राज्य 'पिछले दरवाजे' से लागू करना संघीय सहमति-निर्माण को दरकिनार करता है और असंगत प्रावधानों का जोखिम उठाता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	क्या समान नागरिक संहिता को राज्य विधानसभाओं के माध्यम से टुकड़ों में लागू किया जाना संवैधानिक रूप से उचित है, या इसके लिए संसदीय मार्ग अनिवार्य है? चर्चा करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में DPSP की प्रकृति स्पष्ट करें। मुख्य भाग — समवर्ती सूची क्षमता बनाम राष्ट्रीय एकरूपता की आवश्यकता पर तर्क दें; गोवा मॉडल व संभावित असंगति जोखिम पर चर्चा करें। निष्कर्ष में संसदीय ढाँचा-विधान सहित राज्य-लचीलापन का संतुलित मार्ग सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. राज्य में UCC लागू करने का दबाव झेल रहे मुख्य सचिव के रूप में, आप विधि विभाग को संवैधानिक जोखिम पर क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण: स्पष्ट करेंगे कि समवर्ती सूची क्षमता होने के बावजूद, राष्ट्रीय एकरूपता वाले विषय पर राज्य-स्तरीय कानून को केंद्रीय ढाँचा-विधान या स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ाना भविष्य में न्यायिक चुनौती और अंतर-राज्यीय असंगति का जोखिम उठाता है — सलाह होगी कि पहले केंद्र से परामर्श लें।

1.3 किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध समझौता — 8 वर्ष के गतिरोध पर सहकारी संघवाद की जीत

समाचार आठ वर्षों के अंतर-राज्यीय गतिरोध के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना हेतु जल-बँटवारा व लागत-साझाकरण समझौता हुआ। परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व जलविद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. अनुच्छेद 262 (अंतर-राज्यीय जल विवाद); अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956; सातवीं अनुसूची — जल राज्य सूची की प्रविष्टि, पर अंतर-राज्यीय नदियाँ संघ सूची प्रविष्टि 56 के अंतर्गत।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. अंतर-राज्यीय जल विवाद व सहकारी संघवाद GS-2 का स्थायी विषय है — कावेरी, सतलुज-यमुना जैसे विवादों की तुलना में यह दुर्लभ 'सफलता की कहानी' उदाहरण है, जो परीक्षक को सकारात्मक केस-स्टडी प्रदान करता है।
प्रीलिम्स तथ्य	किशाऊ बाँध टोंस नदी (यमुना की सहायक) पर प्रस्तावित; यह छह हिमालयी राज्यों की साझा परियोजना है — उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान।
विश्लेषण	1. यह समझौता दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद और सहकारी संघवाद परस्पर विरोधी नहीं — दीर्घकालिक बातचीत व केंद्रीय मध्यस्थता (जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका) के माध्यम से भी अंतर-राज्यीय गतिरोध हल हो सकते हैं। यह मॉडल भविष्य के जल-बँटवारा विवादों हेतु संस्थागत मिसाल बन सकता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान में केंद्र की मध्यस्थ भूमिका पर चर्चा करें, किशाऊ बाँध समझौते के उदाहरण सहित।

मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में अनुच्छेद 262 का ढाँचा बताएं। मुख्य भाग में किशाऊ की सफलता के कारकों (दीर्घकालिक तकनीकी वार्ता, लागत-साझाकरण फार्मूला, केंद्रीय मध्यस्थता) का विश्लेषण करें, असफल विवादों से तुलना करें। निष्कर्ष में संस्थागत सुधार सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में, आप भविष्य के अंतर-राज्यीय जल विवादों में इस मॉडल की किन विशेषताओं को दोहराने की सिफारिश करेंगे? दृष्टिकोण: लागत-साझाकरण फार्मूले को तकनीकी लाभ-अनुपात पर आधारित करना, राजनीतिक नेतृत्व-परिवर्तन के बावजूद निरंतरता हेतु एक स्थायी तकनीकी समिति बनाना, और अंतिम समझौते से पहले सभी हितधारक राज्यों के लिए समयबद्ध समीक्षा चक्र निर्धारित करना — ताकि गतिरोध दशकों तक न खिंचे।

1.4 खनन संशोधन अधिनियम 2026 — नया केंद्र-राज्य टकराव बिंदु

समाचार खनन संशोधन अधिनियम 2026 खनिज रॉयल्टी व लाइसेंसिंग शक्तियों के पुनर्वितरण को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच नए टकराव का कारण बना है, कई राज्यों ने इसे अपने राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप बताया।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957; सातवीं अनुसूची — खनन राज्य सूची व संघ सूची दोनों में; सर्वोच्च न्यायालय का खनिज रॉयल्टी पर हालिया फैसला (राज्यों की कर लगाने की शक्ति)।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. संसाधन संघवाद व राजस्व-बँटवारा GS-2 का महत्वपूर्ण उप-विषय है — खनन क्षेत्र में केंद्र-राज्य टकराव संवैधानिक शक्ति-विभाजन की व्यावहारिक परीक्षा प्रस्तुत करता है।
प्रीलिम्स तथ्य	खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत केंद्र खनिजों के नियमन की शक्ति रखता है; सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में राज्यों की खनिज पर कर लगाने की शक्ति को बरकरार रखा।
विश्लेषण	1. संशोधन अधिनियम केंद्र की नियामक शक्ति व राज्यों के राजस्व अधिकार के बीच तनाव को उजागर करता है। संसाधन-समृद्ध राज्यों के लिए खनिज रॉयल्टी राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, और केंद्रीकृत नियंत्रण उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को सीमित कर सकता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	खनन क्षेत्र में केंद्र-राज्य राजस्व-बँटवारे के तनाव का विश्लेषण करें और संतुलित ढाँचा सुझाएँ।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में विधायी पृष्ठभूमि दें। मुख्य भाग — केंद्र की नियामक आवश्यकता, राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता, सर्वोच्च न्यायालय की मिसाल। निष्कर्ष में सहकारी संघवाद ढाँचा सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. खान मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप राज्यों की चिंताओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय खनन नीति कैसे लागू करेंगे? दृष्टिकोण: राज्यों के साथ रॉयल्टी-दर निर्धारण में परामर्शी तंत्र स्थापित करूँगा, राजस्व-बँटवारे का पूर्वानुमेय फार्मूला तैयार करूँगा, और अंतर-राज्यीय परिषद के माध्यम से नियमित संवाद सुनिश्चित करूँगा।

1.5 एक ही दिन दो सर्वोच्च न्यायालय आदेश — भाषा, शिक्षा और संघवाद पर

समाचार सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही दिन दो महत्वपूर्ण आदेश पारित किए — एक भाषा-नीति पर, दूसरा स्कूली शिक्षा के केंद्र-राज्य क्षेत्राधिकार पर — दोनों ही संघीय शक्ति-विभाजन की सीमाओं को स्पष्ट करते हैं।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. आठवीं अनुसूची (मान्यता-प्राप्त भाषाएँ); अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार); समवर्ती सूची — शिक्षा; त्रिभाषा सूत्र।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. भाषा-नीति व शिक्षा में संघवाद GS-2 का आवर्ती विषय है — विशेषकर हाल के भाषा-विवादों (हिंदी थोपे जाने के आरोप) के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक।
प्रीलिम्स तथ्य	आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल; शिक्षा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आती है (42वें संशोधन के बाद)।
विश्लेषण	1. दोनों आदेश एक साझा सिद्धांत को रेखांकित करते हैं — समवर्ती सूची के विषयों में भी राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान होना चाहिए, विशेषकर सांस्कृतिक व भाषाई संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में। न्यायपालिका संघीय

	संतुलन के रक्षक की भूमिका निभा रही है।
संभावित मेन्स प्रश्न	भाषा व शिक्षा नीति में केंद्र-राज्य संबंधों पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेशों के निहितार्थ का विश्लेषण करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में दोनों आदेशों का संक्षिप्त विवरण दें। मुख्य भाग — समवर्ती सूची में राज्य स्वायत्तता का सिद्धांत, भाषाई-सांस्कृतिक संवेदनशीलता, न्यायपालिका की संघीय-संतुलनकारी भूमिका। निष्कर्ष में सहकारी संघवाद के महत्व पर बल दें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप त्रिभाषा सूत्र लागू करते समय राज्यों की संवेदनशीलता का सम्मान कैसे सुनिश्चित करेंगे? दृष्टिकोण: राज्यों के साथ परामर्श करके लचीला कार्यान्वयन ढाँचा तैयार करूँगा, किसी भी भाषा को थोपे जाने की धारणा से बचने हेतु स्पष्ट संचार करूँगा, और स्थानीय भाषा-प्राथमिकताओं को समायोजित करने की गुंजाइश रखूँगा।

1.6 संयुक्त समिति के समक्ष FCRA संशोधन विधेयक, जबकि न्यायालय मौजूदा कानून के प्रयोग पर सवाल उठा रहे

समाचार विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष है, जबकि विभिन्न न्यायालय मौजूदा FCRA प्रावधानों के प्रयोग के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं — विशेषकर NGO पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) 2010; अनुच्छेद 19(1)(c) (संगठन बनाने का अधिकार); राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक-समाज स्वतंत्रता का संतुलन।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. NGO विनियमन व नागरिक-समाज स्थान GS-2 (शासन) का महत्वपूर्ण विषय है — राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं व लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन परखने हेतु उपयुक्त।
प्रीलिम्स तथ्य	FCRA 2010 विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों को नियंत्रित करता है; पंजीकरण हर 5 वर्ष में नवीनीकृत होना आवश्यक।
विश्लेषण	1. न्यायालयों की चिंता यह है कि FCRA पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं मिलता, जिससे वैध नागरिक-समाज संगठन भी अनुचित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। संशोधन विधेयक का उद्देश्य प्रक्रियात्मक स्पष्टता लाना है, परंतु इसे राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिक स्वतंत्रता दोनों का सम्मान करना होगा।
संभावित मेन्स प्रश्न	FCRA के प्रयोग में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता व राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन पर चर्चा करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में FCRA का उद्देश्य बताएं। मुख्य भाग — वर्तमान चिंताएँ (सुनवाई का अभाव), राष्ट्रीय सुरक्षा का वैध पक्ष, न्यायिक मिसालें। निष्कर्ष में प्रक्रियात्मक सुधार सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. गृह मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप FCRA पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करेंगे? दृष्टिकोण: रद्दीकरण से पहले अनिवार्य कारण-बताओ नोटिस व सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करूँगा, निर्णय के कारण लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य करूँगा, और अपीलीय तंत्र को सुदृढ़ करूँगा।

1.7 निवारक निरोध की समीक्षा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम व NSA के दुरुपयोग पर 'ऑरवेलियन डिस्टोपिया' की चेतावनी दी

समाचार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम व NSA के प्रयोग पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे 'ऑरवेलियन डिस्टोपिया' की ओर बढ़ता कदम बताया, जहाँ निवारक निरोध सामान्य कानून-व्यवस्था प्रवर्तन का विकल्प बन गया है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. अनुच्छेद 22 (निरोध के विरुद्ध सुरक्षा); उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA); निवारक बनाम दंडात्मक निरोध।
---------------------------	--

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. निवारक निरोध कानूनों का दुरुपयोग GS-2 (नागरिक स्वतंत्रता, शासन) का आवर्ती विषय है — न्यायपालिका की सख्त टिप्पणियाँ इसे और प्रासंगिक बनाती हैं।
प्रीलिम्स तथ्य	उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 में लागू: NSA के अंतर्गत बिना मुकदमे 12 महीने तक निरोध संभव।
विश्लेषण	1. न्यायालय की 'ऑरवेलियन डिस्टोपिया' टिप्पणी गंभीर है — यह संकेत देती है कि निवारक निरोध कानूनों का प्रयोग सामान्य आपराधिक प्रक्रिया को दरकिनार करने हेतु व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। यह शक्ति-पृथक्करण व न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के लिए चुनौती है।
संभावित मेन्स प्रश्न	"निवारक निरोध कानूनों का बढ़ता प्रयोग न्यायिक निगरानी को कमजोर करता है।" चर्चा करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में निवारक निरोध की अवधारणा बताएं। मुख्य भाग — दुरुपयोग के पैटर्न, न्यायिक चिंताएँ, संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता। निष्कर्ष में सुदृढीकरण उपाय सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. राज्य के गृह सचिव के रूप में, आप निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग को कैसे रोकेंगे? दृष्टिकोण: हर निरोध आदेश के लिए वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व-स्वीकृति अनिवार्य करूँगा, नियमित आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था स्थापित करूँगा, और सलाहकार बोर्ड की समीक्षा को समयबद्ध व अर्थपूर्ण बनाऊँगा।

1.8 तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के अंतर्गत एक विधायक को अयोग्य ठहराया, जब अध्यक्ष ने ऐसा करने से इनकार किया

समाचार तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक विधायक को दलबदल-रोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने से इनकार करने के बाद — अध्यक्ष की भूमिका व न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर नई बहस छेड़ी।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. दसवीं अनुसूची (दलबदल-रोधी कानून); अनुच्छेद 191 व 192; अध्यक्ष की अर्ध-न्यायिक भूमिका; किहोतो होलोहन केस (1992) — अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. दलबदल-रोधी कानून व अध्यक्ष की भूमिका GS-2 का आवर्ती विषय है — अध्यक्ष द्वारा निर्णय में देरी या इनकार पर न्यायिक हस्तक्षेप का यह ताज़ा उदाहरण इसे और प्रासंगिक बनाता है।
प्रीलिम्स तथ्य	दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई; किहोतो होलोहन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा के अधीन माना।
विश्लेषण	1. यह मामला उस दीर्घकालिक संस्थागत समस्या को उजागर करता है जहाँ अध्यक्ष, जो स्वयं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, दलबदल के मामलों में निष्पक्ष व समयबद्ध निर्णय देने में असफल रहता है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप आवश्यक तो है, परंतु यह शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत पर भी प्रश्न उठाता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	"अध्यक्ष की अर्ध-न्यायिक भूमिका में निहित हितों का टकराव दलबदल-रोधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है।" चर्चा करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में दसवीं अनुसूची व अध्यक्ष की भूमिका बताएं। मुख्य भाग — हितों का टकराव, किहोतो होलोहन मिसाल, विलंब की समस्या। निष्कर्ष में स्वतंत्र न्यायाधिकरण जैसे सुधार सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. विधानसभा सचिवालय में एक अधिकारी के रूप में, आप दलबदल के मामलों में समयबद्ध निर्णय कैसे सुनिश्चित करेंगे? दृष्टिकोण: दलबदल याचिकाओं पर निर्णय हेतु स्पष्ट समय-सीमा (जैसे 3 महीने) निर्धारित करने की सिफारिश करूँगा, और दीर्घकालिक सुधार हेतु किसी स्वतंत्र न्यायाधिकरण या निर्वाचन आयोग को यह अधिकार सौंपने की वकालत करूँगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

2.1 लाल सागर, होर्मुज जलसंधि और विस्तृत होता यमन युद्ध — भारत की ऊर्जा सुरक्षा दाँव पर

समाचार यमन युद्ध के विस्तार से लाल सागर व होर्मुज जलसंधि — दोनों प्रमुख वैश्विक ऊर्जा-पारगमन मार्ग — खतरे में हैं। भारत अपने कच्चे तेल आयात के बड़े हिस्से हेतु इन्हीं चोकपॉइंट्स पर निर्भर है, जिससे शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम बढ़ने का जोखिम है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. होर्मुज जलसंधि — विश्व के समुद्री तेल व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा; बाब-अल-मंदेब जलसंधि — स्वेज नहर मार्ग की कुंजी; भारत के कच्चे तेल आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. ऊर्जा सुरक्षा व समुद्री चोकपॉइंट्स भारत के IR पाठ्यक्रम में स्थायी विषय हैं — पश्चिम एशिया अस्थिरता को भारत की रणनीतिक भेदाता से जोड़ने वाला यह प्रश्न GS-3 (ऊर्जा सुरक्षा) व GS-2 (IR) दोनों में उपयोगी है।
प्रीलिम्स तथ्य	होर्मुज जलसंधि ईरान व ओमान के बीच स्थित है; बाब-अल-मंदेब जलसंधि यमन, जिबूती व इरिट्रिया के बीच लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है।
विश्लेषण	1. भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति दोहरी भेदाता झेलती है — आयात-निर्भरता का उच्च प्रतिशत और परिवहन मार्गों का संकेंद्रण कुछ ही चोकपॉइंट्स पर। दीर्घकालिक समाधान आयात-स्रोत विविधीकरण (रूस, अमेरिका), सामरिक भंडार विस्तार व वैकल्पिक मार्ग (चाबहार) में निहित है।
संभावित मेन्स प्रश्न	पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा है? भारत की शमन रणनीति का मूल्यांकन करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में भारत की आयात-निर्भरता के आँकड़े दें। मुख्य भाग — चोकपॉइंट भेदाता, मूल्य-अस्थिरता जोखिम, मौजूदा शमन उपाय (सामरिक भंडार, स्रोत-विविधीकरण, चाबहार)। निष्कर्ष में दीर्घकालिक ऊर्जा-सुरक्षा रणनीति सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. पेट्रोलियम मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, चोकपॉइंट व्यवधान की स्थिति में आप किन तात्कालिक कदमों की सिफारिश करेंगे? दृष्टिकोण: सामरिक पेट्रोलियम भंडार से आपूर्ति सक्रिय करना, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं (रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका) से तत्काल संपर्क, घरेलू रिफाइनरियों को मार्ग-विविधीकरण हेतु दिशानिर्देश, और मूल्य-स्थिरीकरण हेतु सब्सिडी बफर की समीक्षा।

2.2 ब्रिक्स के बाद भारत-चीन संबंध — 'परस्पर सम्मान, परस्पर हित, परस्पर संवेदनशीलता'

समाचार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद भारत व चीन ने संबंधों के सतर्क पुनर्संतुलन का संकेत दिया, दोनों पक्षों ने 'परस्पर सम्मान, परस्पर हित और परस्पर संवेदनशीलता' के सिद्धांतों को दोहराया — सीमा तनाव के बावजूद व्यावहारिक सहभागिता की दिशा में कदम।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC); पंचशील समझौता 1954; भारत-चीन सीमा तंत्र समझौते; ब्रिक्स व SCO जैसे बहुपक्षीय मंच जहाँ प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग होता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. भारत-चीन संबंध निरंतर IR का केंद्रीय विषय है — 'प्रतिस्पर्धी सहअस्तित्व' की अवधारणा परखने हेतु उपयुक्त, विशेषकर बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय तनाव के प्रबंधन के संदर्भ में।
प्रीलिम्स तथ्य	ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मूल सदस्य; बाद में विस्तार हुआ; भारत-चीन LAC लगभग 3,488 किमी लंबी मानी जाती है।
विश्लेषण	1. बहुपक्षीय मंचों पर सतर्क संवाद द्विपक्षीय अविश्वास को समाप्त नहीं करता, परंतु यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति सीमा-मुद्दे को अन्य क्षेत्रों (व्यापार, जलवायु, बहुपक्षीय शासन-सुधार) से अलग रखने में सक्षम है — यह 'रणनीतिक स्वायत्तता' के व्यावहारिक प्रयोग का उदाहरण है।
संभावित मेन्स प्रश्न	क्या बहुपक्षीय मंच द्विपक्षीय सीमा-विवादों को प्रबंधित करने का प्रभावी माध्यम हो सकते हैं? भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में विश्लेषण करें।

मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में वर्तमान संबंधों की स्थिति बताएं। मुख्य भाग — बहुपक्षीय मंचों की भूमिका, सीमा-मुद्दे को अलग रखने की रणनीति, इसकी सीमाएँ। निष्कर्ष में संतुलित मूल्यांकन दें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. विदेश मंत्रालय में एक डेस्क अधिकारी के रूप में, आप द्विपक्षीय तनाव के बावजूद बहुपक्षीय सहयोग जारी रखने की सलाह कैसे न्यायोचित ठहराएँगे? दृष्टिकोण: स्पष्ट करेंगे कि सीमा-मुद्दे पर सतर्कता बनाए रखते हुए भी व्यापार, जलवायु व वैश्विक शासन-सुधार जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत के व्यापक राष्ट्रीय हित में है — यह 'सब कुछ या कुछ नहीं' का दृष्टिकोण नहीं, बल्कि मुद्दा-आधारित विभेदीकरण है।

2.3 अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत की भारतीय नौसेना जहाज़ से टक्कर

समाचार अरब सागर में एक पाकिस्तानी नौसेना कावैट भारतीय नौसेना के युद्धपोत से टकरा गया, जिससे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा व दोनों देशों के बीच संचार प्रोटोकॉल पर चिंता बढ़ी है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. समुद्री सीमा व अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून (UNCLOS); भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा विवाद (सर त्रीक); नौसैनिक टकराव-रोधी प्रोटोकॉल।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. भारत-पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा घटनाएँ GS-3 (आंतरिक/बाह्य सुरक्षा) में महत्वपूर्ण हैं — आकस्मिक टकराव के तनाव-वृद्धि जोखिम का विश्लेषण परीक्षक को पसंद है।
प्रीलिम्स तथ्य	सर त्रीक भारत-पाकिस्तान के बीच अनसुलझा समुद्री सीमा विवाद है; UNCLOS 1982 समुद्री क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करता है।
विश्लेषण	1. ऐसी घटनाएँ, चाहे आकस्मिक हों, तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में गलत-आकलन का जोखिम बढ़ाती हैं। स्पष्ट संचार हॉटलाइन व टकराव-रोधी प्रोटोकॉल का अभाव किसी भी छोटी घटना को बड़े संकट में बदल सकता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	भारत-पाकिस्तान के बीच समुद्री क्षेत्र में आकस्मिक टकराव के जोखिम व इसके प्रबंधन हेतु संस्थागत तंत्र पर चर्चा करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में घटना दें। मुख्य भाग — मौजूदा संचार तंत्र की कमियाँ, तनाव-वृद्धि का जोखिम, तुलनात्मक उदाहरण (अन्य देशों के टकराव-रोधी समझौते)। निष्कर्ष में द्विपक्षीय हॉटलाइन तंत्र सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. नौसेना मुख्यालय में एक अधिकारी के रूप में, आप भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या सुझाव देंगे? दृष्टिकोण: पाकिस्तान नौसेना के साथ सीधी संचार हॉटलाइन स्थापित करने की सिफारिश करूँगा, समुद्री यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करूँगा, और घटना की स्वतंत्र जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की वकालत करूँगा ताकि पारदर्शिता बने।

2.4 अमेरिका ने रूस के ऊर्जा खरीदारों को निशाना बनाने वाला विधेयक पारित किया; भारत ने कहा संबंध 'प्रभावित हो सकते हैं'

समाचार अमेरिकी कांग्रेस ने रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। भारत, जो रूस से पर्याप्त मात्रा में रियायती कच्चा तेल खरीदता है, ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंध 'प्रभावित हो सकते हैं'।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा; भारत-रूस-अमेरिका त्रिकोणीय संबंध; ऊर्जा सुरक्षा व विदेश नीति का अंतर्संबंध; द्वितीयक प्रतिबंध (secondary sanctions)।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. भारत की रणनीतिक स्वायत्तता व बहु-ध्रुवीय विश्व में संतुलन-साधन नीति GS-2 IR का केंद्रीय विषय है — यह मामला इसका ताज़ा व्यावहारिक परीक्षण है।
प्रीलिम्स तथ्य	भारत रूस से पर्याप्त रियायती कच्चा तेल आयात करता है, विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद; द्वितीयक प्रतिबंध तीसरे देशों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं जो प्रतिबंधित देश से व्यापार करते हैं।

विश्लेषण	1. यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की वास्तविक परीक्षा है — ऊर्जा सुरक्षा (रियायती रूसी तेल) व अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण है। भारत की नीति रही है कि वह किसी एक शक्ति-गुट से बंधने से इनकार करे और अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय ले।
संभावित मेन्स प्रश्न	भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को अमेरिका-रूस प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में मूल्यांकित करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा दें। मुख्य भाग — ऊर्जा सुरक्षा जरूरतें, अमेरिका के साथ रणनीतिक हित, संतुलन-साधन की चुनौतियाँ। निष्कर्ष में भारत की नीति की स्थिरता का मूल्यांकन करें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. विदेश मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस के साथ ऊर्जा संबंध कैसे प्रबंधित करेंगे? दृष्टिकोण: आयात-स्रोत विविधीकरण जारी रखते हुए तत्काल रूसी आयात में अचानक कटौती से बचूंगा, अमेरिका के साथ निरंतर उच्च-स्तरीय संवाद बनाए रखूंगा ताकि आपसी समझ बने, और राष्ट्रीय ऊर्जा-सुरक्षा हित को स्पष्ट रूप से व्यक्त करूंगा।

अर्थव्यवस्था

3.1 अगस्त में वस्तु निर्यात 26% बढ़ा — भारत का व्यापार घाटा घटा

समाचार अगस्त में भारत के वस्तु निर्यात में 26% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूप से संकुचित हुआ। यह वृद्धि इंजीनियरिंग वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में मजबूत मांग से प्रेरित बताई गई।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. व्यापार संतुलन व चालू खाता घाटा (CAD) की अवधारणा; विदेश व्यापार नीति (FTP); निर्यात संवर्धन योजनाएँ — RoDTEP, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. व्यापार आँकड़े GS-3 अर्थव्यवस्था में नियमित रूप से पूछे जाते हैं — निर्यात संरचना में बदलाव (परंपरागत से उच्च-मूल्य वस्तुओं की ओर) एक विश्लेषणात्मक कोण प्रदान करता है।
प्रीलिम्स तथ्य	व्यापार घाटा = आयात मूल्य - निर्यात मूल्य; RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क व करों में छूट) 2021 से लागू।
विश्लेषण	1. निर्यात वृद्धि का सतत होना महत्वपूर्ण है — यदि यह केवल अस्थायी वैश्विक मांग-उछाल है तो नीतिगत उत्साह जल्दबाज़ी होगा। संरचनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता (उत्पादकता, लॉजिस्टिक्स लागत, टैरिफ बाधाएँ) पर ध्यान केंद्रित करना दीर्घकालिक समाधान है।
संभावित मेन्स प्रश्न	भारत के निर्यात वृद्धि की संरचनात्मक स्थिरता का मूल्यांकन करें और इसे बढ़ावा देने हेतु नीतिगत उपाय सुझाएँ।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में आँकड़े दें। मुख्य भाग — वृद्धि के चालक, संरचनात्मक बनाम चक्रीय कारकों का विभेदन, PLI व RoDTEP जैसी योजनाओं की भूमिका। निष्कर्ष में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. वाणिज्य मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप निर्यात वृद्धि को संरचनात्मक रूप से स्थायी बनाने हेतु किन नीतिगत प्राथमिकताओं की सिफारिश करेंगे? दृष्टिकोण: लॉजिस्टिक्स लागत घटाने हेतु बुनियादी ढाँचा निवेश, PLI योजना का उच्च-मूल्य क्षेत्रों तक विस्तार, और मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से बाज़ार पहुँच विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

3.2 UPI व्यापारी शुल्क (MDR) की वापसी — डिजिटल-भुगतान अर्थशास्त्र का पुनर्संतुलन

समाचार सरकार ने बड़े व्यापारियों पर UPI लेनदेन हेतु मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) पुनः लागू करने की योजना बनाई है, जिससे बैंकों व भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व मॉडल संतुलित हो सके, जबकि छोटे व्यापारियों को शुल्क-मुक्त बनाए रखा गया है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र; भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI); डिजिटल इंडिया व वित्तीय समावेशन नीति; MDR — व्यापारी द्वारा भुगतान प्रोसेसिंग हेतु चुकाया जाने वाला शुल्क।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. डिजिटल भुगतान नीति GS-3 का बढ़ता महत्वपूर्ण विषय है — UPI की सफलता व इसके वित्तीय स्थिरता मॉडल के बीच तनाव एक बारीक नीतिगत प्रश्न प्रस्तुत करता है।
प्रीलिम्स तथ्य	UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) 2016 में NPCI द्वारा लॉन्च; वर्तमान में छोटे व्यापारियों (₹20 लाख से कम टर्नओवर) हेतु शुल्क-मुक्त।
विश्लेषण	1. UPI का 'शून्य-MDR' मॉडल अपनाने की गति को तेज़ करने में सफल रहा, परंतु इससे बैंकों व भुगतान प्रदाताओं के लिए बुनियादी ढाँचा लागत वसूलना कठिन हुआ। बड़े व्यापारियों पर चयनात्मक MDR पुनःस्थापन एक व्यावहारिक मध्य-मार्ग है, जो छोटे व्यापारियों के वित्तीय समावेशन को प्रभावित किए बिना पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	UPI के शून्य-MDR मॉडल का डिजिटल-भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव का मूल्यांकन करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में UPI की सफलता के आँकड़े दें। मुख्य भाग — शून्य-MDR के लाभ (अपनाने की गति) व लागत (पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता), चयनात्मक MDR पुनःस्थापन का तर्क। निष्कर्ष में संतुलित नीति सुझाएँ।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण

Q1. वित्तीय सेवा विभाग में एक अधिकारी के रूप में, आप छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे टिकाऊ बनाएंगे?

दृष्टिकोण: टर्नओवर-आधारित स्तरीकृत MDR ढाँचा लागू करूँगा जहाँ छोटे व्यापारी शुल्क-मुक्त बने रहें, बड़े व्यापारियों पर न्यूनतम शुल्क लगे, और बचत का एक हिस्सा डिजिटल बुनियादी ढाँचे में पुनर्निवेशित हो।

3.3 अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने तीन वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई

समाचार अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने तीन वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई, जिससे वैश्विक पूँजी प्रवाह व उभरते बाज़ारों की मुद्राओं पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारत के लिए यह आयातित मुद्रास्फीति व रुपये पर दबाव का जोखिम बढ़ाता है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. मौद्रिक नीति स्थानांतरण प्रभाव; RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC); रेपो दर तंत्र; पूँजी खाता प्रबंधन।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. वैश्विक मौद्रिक नीति का भारत पर प्रभाव GS-3 अर्थव्यवस्था का नियमित विषय है — फेड की नीति व RBI की प्रतिक्रिया के बीच अंतर्संबंध परखने हेतु उपयुक्त।
प्रीलिम्स तथ्य	फेडरल रिज़र्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है; RBI की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं जो रेपो दर तय करते हैं।
विश्लेषण	1. फेड दरों में वृद्धि से पूँजी उभरते बाज़ारों से अमेरिका की ओर स्थानांतरित होने का जोखिम रहता है, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है और आयातित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। RBI को घरेलू विकास व मुद्रास्फीति नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना होगा — अक्टूबर में दर वृद्धि की संभावना बढ़ी है।
संभावित मेन्स प्रश्न	वैश्विक मौद्रिक नीति परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और RBI की नीतिगत प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में फेड निर्णय व वैश्विक संदर्भ दें। मुख्य भाग — पूँजी प्रवाह प्रभाव, मुद्रा दबाव, RBI की नीतिगत सीमाएँ। निष्कर्ष में संतुलित घरेलू नीति सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. RBI में एक अधिकारी के रूप में, आप वैश्विक दर वृद्धि के बीच रुपये की स्थिरता कैसे सुनिश्चित करेंगे? दृष्टिकोण: विदेशी मुद्रा भंडार का रणनीतिक उपयोग करूँगा, घरेलू ब्याज दरों को क्रमिक रूप से समायोजित करूँगा ताकि विकास प्रभावित न हो, और पूँजी प्रवाह पर निगरानी बढ़ाऊँगा।

3.4 भारत का पहला जिला-स्तरीय बेरोज़गारी मानचित्र — युवाओं की शिक्षा-रोज़गार से दूरी पर क्या दिखाता है

समाचार भारत का पहला जिला-स्तरीय बेरोज़गारी मानचित्र जारी किया गया, जो यह दर्शाता है कि किन जिलों में युवा 'न शिक्षा में, न रोज़गार में, न प्रशिक्षण में' (NEET) श्रेणी में सर्वाधिक हैं — क्षेत्रीय असमानता को उजागर करता एक महत्वपूर्ण डेटा-आधारित उपकरण।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा; कौशल भारत मिशन; NEET (Not in Employment, Education or Training) श्रेणी; क्षेत्रीय आर्थिक असमानता।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. रोज़गार व कौशल-विकास GS-3 अर्थव्यवस्था का केंद्रीय विषय है — जिला-स्तरीय डेटा का उपयोग नीति-निर्माण में साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जो मेन्स में सराहा जाता है।
प्रीलिम्स तथ्य	NEET श्रेणी उन युवाओं को संदर्भित करती है जो न शिक्षा में हैं, न रोज़गार में, न प्रशिक्षण में; जिला-स्तरीय डेटा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से अधिक सूक्ष्म नीति-लक्ष्यीकरण संभव बनाता है।
विश्लेषण	1. जिला-स्तरीय डेटा राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है क्योंकि यह दिखाता है कि बेरोज़गारी व शिक्षा-वंचन एक समान रूप से नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से केंद्रित हैं। यह लक्षित नीति-हस्तक्षेप (जैसे विशिष्ट पिछड़े जिलों में कौशल-केंद्र स्थापित करना) को संभव बनाता है, बजाय एक-समान राष्ट्रीय योजना के।
संभावित मेन्स प्रश्न	जिला-स्तरीय डेटा का उपयोग रोज़गार नीति-निर्माण में साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने हेतु कैसे किया जा सकता है? चर्चा करें।

मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में डेटा की उपलब्धता व महत्व बताएं। मुख्य भाग — क्षेत्रीय असमानता का विश्लेषण, लक्षित नीति-हस्तक्षेप की संभावना, कौशल भारत मिशन से जुड़ाव। निष्कर्ष में डेटा-चालित नीति ढाँचा सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. कौशल विकास मंत्रालय में एक जिला अधिकारी के रूप में, आप उच्च NEET-दर वाले जिले में क्या हस्तक्षेप करेंगे? दृष्टिकोण: स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करूँगा, स्कूल-ड्रॉपआउट दर घटाने हेतु समुदाय-आधारित कार्यक्रम चलाऊँगा, और स्थानीय उद्यमों के साथ प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) साझेदारी बढ़ाऊँगा।

3.5 चीन की दुर्लभ-मृदा पकड़ और भारत का ₹73 अरब का जवाब

समाचार चीन का वैश्विक दुर्लभ-मृदा तत्व (rare-earth) उत्पादन व प्रसंस्करण पर लगभग एकाधिकार भारत की रणनीतिक भेद्यता बना हुआ है। भारत सरकार ने घरेलू दुर्लभ-मृदा प्रसंस्करण क्षमता विकसित करने हेतु ₹73 अरब के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. दुर्लभ-मृदा तत्व (17 तत्वों का समूह); रणनीतिक खनिज व आपूर्ति-शृंखला सुरक्षा; आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण खनिज मिशन; इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा उत्पादन में दुर्लभ-मृदा की भूमिका।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति-शृंखला GS-3 (अर्थव्यवस्था, विज्ञान-प्रौद्योगिकी) व GS-2 (IR — चीन निर्भरता) दोनों में तेज़ी से महत्वपूर्ण होता विषय है।
प्रीलिम्स तथ्य	चीन वैश्विक दुर्लभ-मृदा उत्पादन के लगभग 60-70% व प्रसंस्करण के 85-90% हिस्से पर नियंत्रण रखता है; दुर्लभ-मृदा तत्व इलेक्ट्रिक वाहन मोटर, पवन टर्बाइन व रक्षा उपकरणों में आवश्यक हैं।
विश्लेषण	1. चीन का दुर्लभ-मृदा एकाधिकार केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम है — यह रक्षा उत्पादन व स्वच्छ-ऊर्जा संचरण दोनों को प्रभावित कर सकता है। भारत का ₹73 अरब का निवेश सही दिशा में कदम है, परंतु प्रसंस्करण तकनीक विकसित करने में वर्षों लगेंगे — अल्पकालिक आपूर्ति-सुरक्षा हेतु मित्र-देशों के साथ साझेदारी (जैसे QUAD महत्वपूर्ण खनिज पहल) भी आवश्यक है।
संभावित मेन्स प्रश्न	दुर्लभ-मृदा तत्वों में भारत की आयात-निर्भरता से उत्पन्न रणनीतिक जोखिम व इसे कम करने की नीति का मूल्यांकन करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में चीन के एकाधिकार के आँकड़े दें। मुख्य भाग — रणनीतिक जोखिम (रक्षा, स्वच्छ-ऊर्जा), भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया (₹73 अरब पैकेज), अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की आवश्यकता। निष्कर्ष में समग्र रणनीति सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. खान मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप दुर्लभ-मृदा आपूर्ति-शृंखला सुरक्षा हेतु अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीति कैसे तैयार करेंगे? दृष्टिकोण: अल्पकालिक हेतु मित्र-देशों (ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका) के साथ आपूर्ति-साझेदारी करूँगा; दीर्घकालिक हेतु घरेलू अन्वेषण व प्रसंस्करण क्षमता में निवेश बढ़ाऊँगा, और रणनीतिक भंडार स्थापित करने की सिफारिश करूँगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

4.1 AI और 'संज्ञानात्मक समर्पण' — चैटबॉट छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को कैसे बदल रहे हैं

समाचार शिक्षाविदों ने चिंता जताई है कि AI चैटबॉट पर बढ़ती निर्भरता छात्रों में 'संज्ञानात्मक समर्पण' को जन्म दे रही है — जहाँ छात्र समस्या-समाधान व आलोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया को स्वयं करने के बजाय सीधे AI-जनित उत्तरों पर निर्भर हो रहे हैं।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. शिक्षा नीति व तकनीकी नैतिकता; राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में डिजिटल शिक्षा; AI शासन ढाँचा; संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. AI का शिक्षा पर प्रभाव GS-3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी) व GS-4 (नैतिकता — तकनीकी निर्भरता के नैतिक आयाम) दोनों में उपयोगी है — उभरती तकनीक व मानव संज्ञान के अंतर्संबंध पर केंद्रित प्रश्नों हेतु आदर्श।
प्रीलिम्स तथ्य	NEP 2020 डिजिटल साक्षरता व तकनीक-सक्षम शिक्षा पर बल देती है; UNESCO ने AI शिक्षा मार्गदर्शिका जारी की है जो मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करती है।
विश्लेषण	1. 'संज्ञानात्मक समर्पण' की चिंता वास्तविक है, परंतु समाधान AI-प्रतिबंध नहीं बल्कि शैक्षणिक पुनर्रचना है — मूल्यांकन विधियों को इस तरह डिज़ाइन करना कि वे प्रक्रिया व तर्क-क्षमता को परखें, न कि केवल अंतिम उत्तर को। शिक्षकों की भूमिका सूचना-प्रदाता से आलोचनात्मक-चिंतन-मार्गदर्शक की ओर स्थानांतरित होनी चाहिए।
संभावित मेन्स प्रश्न	AI उपकरणों के शैक्षणिक उपयोग से उत्पन्न 'संज्ञानात्मक समर्पण' की चुनौती का मूल्यांकन करें और समाधान सुझाएँ।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में समस्या परिभाषित करें। मुख्य भाग — कारण (सुविधा-प्रेरित निर्भरता), परिणाम (आलोचनात्मक चिंतन क्षमता में गिरावट), समाधान (मूल्यांकन पुनर्रचना, शिक्षक की बदलती भूमिका)। निष्कर्ष में संतुलित तकनीक-एकीकरण नीति सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप स्कूलों में AI उपयोग हेतु दिशानिर्देश कैसे तैयार करेंगे? दृष्टिकोण: मूल्यांकन को प्रक्रिया-आधारित (मौखिक परीक्षा, कक्षा में समस्या-समाधान) बनाने पर बल दें, शिक्षकों हेतु AI-साक्षरता प्रशिक्षण अनिवार्य करूँगा, और छात्रों के लिए 'जिम्मेदार AI उपयोग' पाठ्यक्रम में शामिल करूँगा।

4.2 सेमीकॉन इंडिया 2026: ISM 2.0 ने \$11-12 अरब का निवेश आकर्षित किया, बारह में से पाँच परियोजनाएँ परिचालन में

समाचार सेमीकॉन इंडिया 2026 में भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 ने \$11-12 अरब का निवेश हित आकर्षित किया, बारह स्वीकृत परियोजनाओं में से पाँच अब परिचालन में आ चुकी हैं — भारत की चिप-निर्माण महत्वाकांक्षा को गति मिली।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM); उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना; आत्मनिर्भर भारत में रणनीतिक क्षेत्र; वैश्विक चिप आपूर्ति शृंखला में भारत की स्थिति।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. सेमीकंडक्टर विनिर्माण GS-3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था) का उभरता महत्वपूर्ण विषय है — रणनीतिक स्वायत्तता व आर्थिक सुरक्षा दोनों दृष्टि से प्रासंगिक।
प्रीलिम्स तथ्य	ISM 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू हुआ; भारत वर्तमान में चिप-डिज़ाइन में मजबूत परंतु फैब्रिकेशन (विनिर्माण) में पीछे है।
विश्लेषण	1. पाँच परियोजनाओं का परिचालन में आना ISM की गति का सकारात्मक संकेत है, परंतु वैश्विक चिप आपूर्ति शृंखला में सार्थक हिस्सेदारी हेतु निरंतर निवेश, कुशल जनशक्ति व स्थिर नीति ढाँचे की आवश्यकता बनी रहेगी। ताइवान व दक्षिण कोरिया जैसे स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण है।
संभावित मेन्स प्रश्न	भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की प्रगति का मूल्यांकन करें और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु रणनीति सुझाएँ।

मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में ISM की पृष्ठभूमि दें। मुख्य भाग — प्रगति के आँकड़े, चुनौतियाँ (जनशक्ति, प्रौद्योगिकी अंतराल), वैश्विक प्रतिस्पर्धा। निष्कर्ष में दीर्घकालिक रणनीति सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता कैसे सुनिश्चित करेंगे? दृष्टिकोण: नियमित परियोजना-समीक्षा तंत्र स्थापित करूँगा, कुशल जनशक्ति हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करूँगा, और निवेशकों के लिए एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली सुदृढ़ करूँगा।

5.1 मणिपुर — नई हत्याएँ दर्शाती हैं कि संघर्ष साधारण मैतेई-कुकी ढाँचे से आगे बढ़ चुका है

समाचार मणिपुर में ताजा हिंसा ने दिखाया कि संघर्ष अब केवल मैतेई-कुकी विभाजन तक सीमित नहीं — नए फॉल्ट-लाइन (कुकी-नागा सहित) उभर रहे हैं, जो शांति-प्रक्रिया को और जटिल बना रहे हैं।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. अनुच्छेद 355-356 (राष्ट्रपति शासन); छठी अनुसूची (जनजातीय स्वायत्त परिषदें); आंतरिक सुरक्षा व जातीय संघर्ष प्रबंधन ढाँचा।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. मणिपुर संघर्ष GS-1 (सामाजिक मुद्दे) व GS-3 (आंतरिक सुरक्षा) दोनों में बार-बार पूछा जाता है — बहु-आयामी जातीय संघर्षों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त।
प्रीलिम्स तथ्य	मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी; राज्य में मैतेई, कुकी-ज़ो व नागा — तीन प्रमुख समुदाय।
विश्लेषण	1. संघर्ष को केवल द्विआधारी (मैतेई बनाम कुकी) ढाँचे में देखना नीति-निर्माण को सीमित करता है — कुकी-नागा तनाव जैसे नए आयाम दिखाते हैं कि भूमि, संसाधन व राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रतिस्पर्धा बहु-पक्षीय है। स्थायी समाधान हेतु सभी हितधारक समुदायों को शामिल करने वाली बहु-पक्षीय वार्ता प्रक्रिया आवश्यक है।
संभावित मेन्स प्रश्न	मणिपुर संघर्ष के बहु-आयामी स्वरूप का विश्लेषण करें और स्थायी शांति हेतु संस्थागत उपाय सुझाएँ।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में संघर्ष की पृष्ठभूमि दें। मुख्य भाग — बहु-आयामी प्रकृति (मैतेई-कुकी, कुकी-नागा), भूमि व संसाधन प्रतिस्पर्धा, मौजूदा शासन तंत्र की सीमाएँ। निष्कर्ष में बहु-पक्षीय वार्ता ढाँचा सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. गृह मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप मणिपुर में बहु-पक्षीय जातीय तनाव को कैसे संबोधित करेंगे? दृष्टिकोण: सभी समुदायों (केवल दो पक्षों नहीं) को शामिल करने वाला त्रि-पक्षीय या बहु-पक्षीय वार्ता मंच स्थापित करूँगा, राहत शिविरों में तटस्थ निगरानी सुनिश्चित करूँगा, और भूमि-संसाधन विवादों हेतु स्वतंत्र न्यायिक समिति गठित करने की सिफारिश करूँगा।

5.2 EAC-PM पत्र में जनसंख्या नियंत्रण को राज्य नीति के उद्देश्य के रूप में त्यागने की सिफारिश

समाचार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के एक पत्र में सिफारिश की गई है कि जनसंख्या नियंत्रण को राज्य नीति के उद्देश्य के रूप में त्याग दिया जाए, यह तर्क देते हुए कि भारत की जनसांख्यिकीय चुनौती अब अति-जनसंख्या नहीं बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन व वृद्ध होती जनसंख्या है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000; जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा; परिवार नियोजन कार्यक्रम का इतिहास; कुल प्रजनन दर (TFR) में क्षेत्रीय भिन्नता।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. जनसंख्या नीति GS-1 (सामाजिक मुद्दे) का महत्वपूर्ण विषय है — बदलती जनसांख्यिकीय वास्तविकता (कुछ राज्यों में TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे) नीति-पुनर्विचार की मांग करती है।
प्रीलिम्स तथ्य	भारत का राष्ट्रीय TFR प्रतिस्थापन स्तर (2.1) के करीब या नीचे पहुँच चुका है; दक्षिणी राज्यों में TFR उत्तरी राज्यों से काफी कम है।
विश्लेषण	1. EAC-PM की सिफारिश जनसांख्यिकीय वास्तविकता में बदलाव को दर्शाती है — अब चुनौती जनसंख्या-वृद्धि नियंत्रण नहीं बल्कि क्षेत्रीय TFR असंतुलन (दक्षिण में गिरावट, कुछ उत्तरी राज्यों में अपेक्षाकृत उच्च) व वृद्ध होती जनसंख्या का प्रबंधन है। यह परिसीमन-राजनीति से भी जुड़ा है — जनसंख्या-आधारित सीट-आवंटन कम-TFR राज्यों को दंडित कर सकता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	भारत की बदलती जनसांख्यिकीय संरचना के संदर्भ में जनसंख्या नीति के पुनर्विचार की आवश्यकता पर चर्चा करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में जनसांख्यिकीय बदलाव के आँकड़े दें। मुख्य भाग — क्षेत्रीय TFR असंतुलन, वृद्ध होती जनसंख्या की चुनौतियाँ, परिसीमन-राजनीति से जुड़ाव। निष्कर्ष में समावेशी जनसंख्या नीति सुझाएँ।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न व
दृष्टिकोण

Q1. स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप क्षेत्रीय TFR असंतुलन को कैसे संबोधित करेंगे?

दृष्टिकोण: उच्च-TFR राज्यों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूँगा (जो स्वाभाविक रूप से TFR घटाता है), निम्न-TFR राज्यों में वृद्ध-जनसंख्या देखभाल हेतु नीति तैयार करूँगा, और जबरन नियंत्रण के बजाय सशक्तिकरण-आधारित दृष्टिकोण अपनाऊँगा ।

आंतरिक सुरक्षा

6.1 नोएडा अमिक विरोध को लेकर पत्रकार पर NSA लागू

समाचार एक पत्रकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) — निवारक निरोध का कठोर प्रावधान — नोएडा में अमिक विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग को लेकर लगाया गया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता व राज्य शक्ति के दुरुपयोग पर बहस छिड़ी।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980; अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता); अनुच्छेद 22 (निवारक निरोध के विरुद्ध सुरक्षा); निवारक बनाम दंडात्मक निरोध का भेद।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. निवारक निरोध कानूनों का दुरुपयोग GS-2 (शासन, नागरिक स्वतंत्रता) का आवर्ती विषय है — प्रेस स्वतंत्रता के साथ इसका प्रतिच्छेदन इसे और प्रासंगिक बनाता है।
प्रीलिम्स तथ्य	NSA के अंतर्गत बिना आरोप-पत्र दाखिल किए 12 महीने तक निरोध संभव; सलाहकार बोर्ड की समीक्षा अनिवार्य है परंतु न्यायिक समीक्षा सीमित।
विश्लेषण	1. निवारक निरोध कानूनों का पत्रकारों पर प्रयोग एक चिंताजनक प्रवृत्ति दर्शाता है — जहाँ 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की व्यापक परिभाषा का उपयोग असहमति दबाने हेतु किया जा सकता है। न्यायपालिका ने बार-बार कहा है कि निरोध केवल स्पष्ट व तात्कालिक खतरे पर आधारित होना चाहिए, न कि रिपोर्टिंग गतिविधि पर।
संभावित मेन्स प्रश्न	निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग व प्रेस स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर चर्चा करें।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में NSA का संक्षिप्त परिचय दें। मुख्य भाग — निवारक निरोध का वैध उद्देश्य, दुरुपयोग का जोखिम, न्यायिक मिसालें। निष्कर्ष में संस्थागत सुरक्षा उपाय (स्वतंत्र समीक्षा तंत्र) सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, आप निवारक निरोध आदेश जारी करने से पहले किन मानकों का पालन करेंगे? दृष्टिकोण: स्पष्ट, प्रत्यक्ष व तात्कालिक खतरे का दस्तावेजीकृत प्रमाण अनिवार्य करूँगा, सामान्य कानून-व्यवस्था प्रवर्तन (जो सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से संभव है) के लिए NSA का प्रयोग नहीं करूँगा, और प्रत्येक निरोध आदेश की स्वतंत्र कानूनी समीक्षा सुनिश्चित करूँगा।

6.2 झीरम घाटी हमला — सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड, 13 वर्ष बाद

समाचार 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले में, जिसमें कई कांग्रेस नेता मारे गए थे, सभी 10 दोषियों को 13 वर्ष बाद मृत्युदंड की सजा सुनाई गई — यह भारत की धीमी न्यायिक प्रक्रिया व वामपंथी उग्रवाद से निपटने की चुनौती दोनों को उजागर करता है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्र; गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA); आपराधिक न्याय प्रणाली में विलंब का मुद्दा।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. आंतरिक सुरक्षा (LWE) व न्यायिक दक्षता दोनों GS-3 के स्थायी विषय हैं — इस केस का दोहरा आयाम (सुरक्षा + न्यायिक सुधार) इसे बहुआयामी प्रश्न हेतु उपयुक्त बनाता है।
प्रीलिम्स तथ्य	झीरम घाटी हमला मई 2013 में छत्तीसगढ़ में हुआ; इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा सहित कई नेता मारे गए थे।
विश्लेषण	1. 13 वर्ष का विलंब भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचनात्मक चुनौतियों को दर्शाता है — साक्ष्य-संग्रहण, गवाह-सुरक्षा व मुकदमे की गति सभी में सुधार आवश्यक। साथ ही, यह फैसला LWE-प्रभावित क्षेत्रों में राज्य की दृढ़ता का संकेत भी देता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	वामपंथी उग्रवाद से जुड़े मामलों में न्यायिक विलंब के कारणों का विश्लेषण करें और सुधार सुझाएँ।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में केस की पृष्ठभूमि दें। मुख्य भाग — विलंब के कारण (साक्ष्य-संग्रहण चुनौतियाँ, गवाह-सुरक्षा, न्यायिक बुनियादी ढाँचे की कमी), LWE-प्रभावित क्षेत्रों की विशेष चुनौतियाँ। निष्कर्ष में फास्ट-ट्रैक न्यायालय व गवाह-सुरक्षा सुधार सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व	Q1. गृह मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप LWE-प्रभावित क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज़

करने हेतु क्या सुझाव देंगे?

दृष्टिकोण: समर्पित फास्ट-ट्रैक न्यायालय स्थापित करूंगा, गवाह-सुरक्षा योजना को सुदृढ़ करूंगा, और फॉरेंसिक साक्ष्य-संग्रहण क्षमता में निवेश की सिफारिश करूंगा ताकि मुकदमे वर्षों तक न खिंचें।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

7.1 पिघलते हिमालयी ग्लेशियर भारत के 21.5% GDP को जोखिम में डालते हैं; ब्रिक भट्टों से काला कार्बन एक-तिहाई समस्या

समाचार एक अध्ययन के अनुसार पिघलते हिमालयी ग्लेशियर भारत के लगभग 21.5% GDP को जोखिम में डाल सकते हैं — जल-सुरक्षा, कृषि व जलविद्युत पर प्रभाव के माध्यम से। ब्रिक भट्टों से उत्सर्जित काला कार्बन इस समस्या का लगभग एक-तिहाई कारण बताया गया।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र; काला कार्बन (ब्लैक कार्बन) उत्सर्जन; राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP); जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. हिमालयी पारिस्थितिकी व जलवायु परिवर्तन GS-1 (भूगोल) व GS-3 (पर्यावरण) दोनों में स्थायी विषय है — आर्थिक प्रभाव आँकड़ों के साथ जोड़ना इसे मेन्स हेतु आकर्षक बनाता है।
प्रीलिम्स तथ्य	काला कार्बन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो बर्फ पर जमकर पिघलने की दर बढ़ाता है; ब्रिक भट्टे ग्रामीण उत्तर भारत में काले कार्बन का प्रमुख स्रोत हैं।
विश्लेषण	1. हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा है — कृषि, जल-विद्युत व पेयजल आपूर्ति सभी प्रभावित होते हैं। काला कार्बन जैसे स्थानीय प्रदूषकों पर नियंत्रण (ब्रिक भट्टा प्रौद्योगिकी सुधार) अपेक्षाकृत त्वरित व लागत-प्रभावी समाधान प्रदान करता है, जबकि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी दीर्घकालिक आवश्यकता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	हिमालयी ग्लेशियर पिघलने के आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण करें और शमन रणनीतियाँ सुझाएँ।
मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में आँकड़े दें। मुख्य भाग — आर्थिक प्रभाव (कृषि, जल-विद्युत), काले कार्बन की भूमिका, अल्पकालिक व दीर्घकालिक समाधान। निष्कर्ष में समग्र नीति सुझाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. पर्यावरण मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप काले कार्बन उत्सर्जन घटाने हेतु क्या तात्कालिक कदम सुझाएँगे? दृष्टिकोण: ब्रिक भट्टों हेतु स्वच्छ प्रौद्योगिकी (जिगजैग भट्टा डिज़ाइन) अपनाने को प्रोत्साहन व सब्सिडी के माध्यम से बढ़ावा दें, अनुपालन की निगरानी हेतु राज्य प्रदूषण बोर्डों को सुदृढ़ करें, और हिमालयी राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ।

7.2 तीन ISA अनुबंध, 366 करोड़ टन नोड्यूल्स, और उनके खनन के विरुद्ध तर्क

समाचार अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) ने गहरे समुद्र में पॉलीमेटलिक नोड्यूल अन्वेषण हेतु तीन अनुबंध जारी किए, जिनमें अनुमानित 366 करोड़ टन नोड्यूल्स शामिल — परंतु पर्यावरणविदों ने गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर अपरिवर्तनीय क्षति की चेतावनी दी है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम सम्बन्ध	1. UNCLOS 1982; अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA); 'मानवता की साझा विरासत' सिद्धांत; गहरे समुद्र खनन का पर्यावरणीय प्रभाव।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (प्रवृत्ति)	1. गहरे समुद्र संसाधन व समुद्री कानून GS-1 (भूगोल संसाधन) व GS-3 (पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय संधियाँ) दोनों में उभरता महत्वपूर्ण विषय है — रणनीतिक खनिज आवश्यकता बनाम पारिस्थितिकी संरक्षण का द्वंद्व परखने हेतु उत्तम।
प्रीलिम्स तथ्य	पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स में निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज़ व तांबा होते हैं — इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी हेतु महत्वपूर्ण; ISA की स्थापना UNCLOS के अंतर्गत हुई, मुख्यालय जमैका में।
विश्लेषण	1. गहरे समुद्र खनन आपूर्ति-शृंखला सुरक्षा (महत्वपूर्ण खनिजों हेतु) व पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच एक गहन द्वंद्व प्रस्तुत करता है। गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को अभी तक पूर्ण रूप से समझा नहीं गया है, और खनन से होने वाली क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है — यह 'सावधानी सिद्धांत' (precautionary principle) के प्रयोग की माँग करता है।
संभावित मेन्स प्रश्न	गहरे समुद्र खनन के आर्थिक लाभ व पारिस्थितिकीय जोखिमों के बीच संतुलन पर चर्चा करें, सावधानी सिद्धांत के संदर्भ में।

मेन्स प्रश्न हल करने की विधि	1. परिचय में गहरे समुद्र खनन की पृष्ठभूमि दें। मुख्य भाग — आर्थिक/रणनीतिक लाभ, पारिस्थितिकीय जोखिम, सावधानी सिद्धांत का अनुप्रयोग। निष्कर्ष में संतुलित नियामक ढाँचे की सिफारिश करें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न व दृष्टिकोण	Q1. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में, आप भारत की गहरे समुद्र खनन नीति में पर्यावरणीय सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? दृष्टिकोण: किसी भी वाणिज्यिक खनन से पहले व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य करूँगा, स्वतंत्र वैज्ञानिक निगरानी तंत्र स्थापित करूँगा, और ISA के अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों के सख्त पालन की वकालत करूँगा।

हम जीत का मज़ा चखकर रहेंगे। — यूपीएससी दर्पण